न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्याः 05/2019

दायर दिनांकः 12.09.2019

निर्णय दिनांक 22.02.2021

—:अनवानः—

1. श्री देवीसिंह पिता धुलसिंह राव उम्र 40 वर्ष निवासी गुगली
2. श्री तेजसिंह पिता भूरसिंह राव उम्र 72 वर्ष निवासी गुगली तहसील आमेट जिला राजसमन्द

————अपीलांट

—:बनामः—

राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार सरदारगढ तहसील आमेट जिला राजसमंद

————रेस्पोण्डेंट

अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार सरदारगढ के प्रकरण संख्या 03/2019 नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 09.08.2019

उपस्थितः—

1— श्री डूंगरसिंह कर्णावट, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री कैलाश चन्द्र बौल्या,राजकीय अधिवक्ता

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स द्वारा ग्राम गुगली तहसील आमेट के आ0नं0 2056/874 रकबा 0.0180 हैक्टर व आ0नं0 874 रकबा 0.1800 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण करने संबंधी रिपोर्ट उप तहसीलदार, सरदारगढ को प्रस्तुत की गयी जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांकः 09.08.2019 को अपीलांट की बैदखली व शास्ति 50/— आरोपित करने का आदेश पारित किया गया। इसी आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय दिनांकः 04.09.2019 को पेश की गयी।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा बहस में यह बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने छपी छपाई सीले लगा कर अपीलांट की स्वीकृति मानकर आदेश देने में भारी भूल की है न तो अपीलांट्स ने अतिक्रमण को स्वीकार किया है न उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। प्रोसिडिंग मे भी अपीलांट्स ने अपना कब्जा स्वीकार किया है न कि अपना नाजायज कब्जा होना स्वीकार किया है। अपीलांट को अपना पक्ष रखने का भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई अवसर नहीं दिया है। और पहली पेशी पर ही उसे बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया गया। मौके पर कोई नाला नहीं है। केवल गुगली तालाब का पानी जब ओवर

फ्लो होता है तो उस जमीन मे से निकलता है। अपीलांट द्वारा प्याउ भी निजी बना रखी है। उक्त भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाना फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, सरदारगढ द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने छपी छपाई सीले लगा कर अपीलांट की स्वीकृति मानकर आदेश पारित किया गया है । अपीलांट्स ने अतिक्रमण को स्वीकार नही किया है और अपीलांट को अपना पक्ष रखने का भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई अवसर नहीं दिया है। और पहली पेशी पर ही उसे बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई समुचित अवसर पक्षकारान को प्रदान नहीं किया हैं। अतः उक्त परिस्थिति में मैं अपीलार्थी की उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य, सबूत व सुनवाई का समूचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करवाया जाना उचित समझता हूँ।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार, सरदारगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.08.2019 को खारिज किया जाता हैं। प्रकरण उप तहसीलदार, सरदारगढ को प्रतिप्रेषित (REMAND) कर निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलांट को शहादत, सबूत एवं सुनवायी का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का पुनः नियमानुसार निस्तारण किया जावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 22.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)